

क्रमांक:- 4/36-38/2

दिनांक:- 29/9/21

ले-आउट प्लान समिति की 18 वी बैठक दिनांक 21.09.2021 का

कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की 18वी बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2021 को 04.00 बजे बीडा कार्यालय मे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:-

- | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | श्रीमति इशिता जे. कुमार | वरि0 नगर नियोजक,
बीडा भिवाडी | सदस्य सचिव |
| 2. | श्री विनित कुमार नगायच | अधिशाषी अभियन्ता,
बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 3. | श्री अजीत पाल सिंह | तहसीलदार
बीडा भिवाडी | सदस्य |

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणो पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदुपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

एल.पी.सी बैठक:- 18 वी

दिनांक:- 21.09.2021





ऐजन्डा:- ग्राम आलमपुर में प्रेसीडेंसी स्कूल के पीछे स्थित बीडा की भूमि को पार्क हेतु आरक्षित रखने बाबत।

ग्राम आलमपुर ढाणी के निवासीयो द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आबादी से लगते हुऐ स्थित बीडा की रिक्त भूमि पर पार्क निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है उक्त भूमि का बी.के.टी मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय (मध्यम घनत्व) एवं (पार्ट) स्कूल दर्शित है तथा क्षेत्रफल मौका रिपोर्टनुसार 2500.85 वर्गमीटर है। उक्त भूमि का बीडा तत्समय न्यास की पूर्व विकसित योजना मानचित्र में किसी भू-उपयोग/गतिविधि (specific use) हेतु आरक्षित नहीं है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार आस-पास में कोई पार्क संचालित नहीं है। निकटतम पार्क सैक्टर 01 में स्थित है। अतः पूर्व विकसित योजना में स्थित भूमि को पार्क हेतु आरक्षित रखे जाने बाबत स्कीम का पार्ट प्लान मय पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं स्कीम ले-आउट का अवलोकन कर सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

चुंकि उक्त क्षेत्र में आमजन के उपयोग हेतु पार्क स्थित नहीं है। तथा उक्त क्षेत्र का स्कीम मानचित्र में उपयोग निर्धारित नहीं है अतः पार्क की आवश्यकता को देखते हुऐ उक्त भूमि को पार्क हेतु आरक्षित रखा जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त भूमि पर स्वामित्व बीडा का ही होगा।

 अजीतपाल सिंह तहसीलदार निरीक्षक (सदस्य)	 विनीत नंगायजच अधिशापी अभियन्ता (सदस्य)	 इशिता जे कुमार वरि0 नगर नियोजक (सदस्य सचिव)	 रोहिताश्व सिंह तोमर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
---	---	---	--